अध्याय – पंचम्

सारांश एवं निष्कर्ष

''जब ग्रामीण लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो वे सामाजिक दृष्टि से अपने आप ही शहरी लोगों की बराबरी सहज ही प्राप्त कर लेंगे।''

मनरेगा केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण (फ्लैगशिप) योजनाओं में से एक है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज 100 दिन पूरे करके पैसे लेना ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विकास को मनरेगा कर्मियों की भावनाएँ और कार्य समर्पित होना चाहिए। मनरेगा पिछड़े, गरीब और निम्न तबके के लोगों का सहारा बना है, उनकी आजीविका का साधन बना है।

मनरेगा और ग्रामीण लोग (श्रमिक) एक–दूसरे के सृजन के साथी हैं। इनमें से एक के भी बिना सृजन असंभव है। जैसे सृष्टि सूरज से ही संभव है, उसी तरह मनरेगा भी श्रमिकों के होने से ही है। वह कार्य की ऊर्जा का दूसरा रूप है, पर कुदरत ने उसे सृजन क्षमता, कुशल होने का वरदान भेजा है। मनरेगा कर्मियों के कार्य में समर्पण की भावना को पहचानना होगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निर्देशों से प्राप्त समंकों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए 300 ग्रामीण मनरेगा कर्मियों को चुना गया है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मनरेगा कर्मियों की सम्पूर्ण भारत में मनरेगा कार्यक्रम शुरु करने के बाद सामाजिक स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है तो श्रीगंगानगर जिले के 65 प्रतिशत लोग सामाजिक सुधार के पक्ष में समर्थन करते हैं, हालांकि अभी भी सामाजिक, आर्थिक सुधार तक ही रूझान सीमित है। विभिन्न राजकीय योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए ग्रामीणों में वृहद् जनचेतना जागृत की जानी चाहिए।

ग्रामीणों की दृष्टि में आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक निकलकर आया। इसके साथ ही योजनाओं के प्रबन्धन और निर्माण में भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। ग्रामीणों का एक बड़ा वर्ग अर्थात् 82.33 प्रतिशत ग्रामीण मनरेगा को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन अभी भी 5 प्रतिशत ग्रामीण इससे असहमत हैं और 12.67 प्रतिशत व्यक्ति इस विषय में अनिश्चित हैं।

पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षित कार्य का 33 प्रतिशत तक लाभ मिल पाता है, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। अधिकांश महिलाओं तक कार्य के प्रति आकर्षण/रूचि के प्रचार–प्रसार की आज भी आवश्यकता है। मनरेगा से जहां पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी और कृषि विघटन के विषय पर भी चिन्तन करना अत्यन्त आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो आज अधिकांश महिलाएँ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में सशक्त भी हुई हैं, किन्तु दूसरी ओर अगर हम महिलाओं की व्यक्तिगत रूचियों पर पति अथवा परिवार के प्रतिबन्ध की बात करें तो लगभग आधी से ज्यादा महिलाएँ इन प्रतिबन्धों से ग्रसित हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिए, ताकि वे स्वतन्त्र जीवन की खुली हवा में सांस ले सकें।

इस प्रकार से भारत के ग्रामीण लोगों में मनरेगा से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पहले की अपेक्षा अब अधिक पड़ तो रहा है, लेकिन जिस अनुपात में प्रभाव पड़ना चाहिए, उस अनुपात में आज प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। इस प्रश्न का उदाहरण देखें तो 60 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसमें भेदभाव किया जाता है, किन्तु दूसरी ओर इस भेदभाव की खाई को समाप्त करने के लिए ही ग्रामीणों ने एक अनजानेपन के दायरे से बाहर निकलकर कानून कायदों को जानने व सीखने के लिए चुनौती पेश की है, किन्तु फिर भी जो व्यक्ति आज भी अपने आपको असहाय

समझता है, उसे अपने अधिकारों व स्वतन्त्रता के प्रति जागरुक करना अत्यन्त आवश्यक है।

आज ग्रामीण लोगों की सोच में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां पहले ग्रामीण राष्ट्र विकास के लिए अपने आपको योग्य नहीं समझते थे, वहीं आज के जमाने के साथ कदम बढ़ाने की बात करते हैं। इनका मानना है कि पहले ग्रामीणों की आर्थिक हालत सुदृढ़ नहीं थी, किन्तु आज ग्रामीण लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गये हैं। साथ ही शिक्षा तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी ग्रामीणों को उचित अवसर प्रदान किये जाने लगे हैं, अर्थात् अगर ग्रामीण इसी तरह विकास की राह पर चलते रहे और शिक्षा का अच्छा सुधार किया गया तो आने वाले समय में गांवों के लोगों का राजनीति में वर्चस्व देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ सामाजिक कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार से मुक्ति संभव हो पायेगी, बल्कि जागरुकता भी स्वतः ही आ जायेगी।

स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीणों की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार तो हुआ है, किन्तु अभी भी इनकी स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए सरकारी प्रयत्नों की आवश्यकता है। अधिकांश ग्रामीण लोग आज भी शोषण का शिकार हैं। शिक्षा के अभाव में उचित मजदूरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि अगर प्रत्येक ग्रामीण एक–दूसरे का सहयोग करें, सूचनाओं को ध्यान में रखें, योजनाओं का पूर्ण लाभ उठायें तो एक परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। शिक्षित व उच्च वर्ग के लोग भी उन्हें समाज में उचित दर्जा व अधिकार दिलायें व अन्य कार्यों में उनका सहयोग करें। आज के ग्रामीणों का तो मानना है कि अगर ग्रामीणों को किसी भी रास्ते से आगे बढ़ने का मौका मिले तो उन्हें हर संभव प्रयास कर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि 30 प्रतिशत व्यक्ति इससे असहमत हैं।

सर्वे के दौरान खुले में शौच मुक्त योजना में निर्मल भारत मिशन को मनरेगा में क्रियान्वयन किये जाने का लोगों ने स्वागत किया है। इससे स्वच्छ भारत मिशन को

गति मिली है तथा इस योजना में अन्धविश्वासों, जाति–पाँति, धर्म को कोई स्थान नहीं है तथा लोगों में ''मैं'' की भावना हम में बदल गयी है। एक–दूसरे के प्रति घृणा, हीन–भावना, तुच्छ सोच को मनरेगा ने कम कर दिया। अकेली और विकलांग, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को हर समय रोजगार उपलब्ध करके इनके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा देश के प्रत्येक कोने में विकास की लहर दौड़ गयी है। समाज से वंचित तबकों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा द्वारा सूखा रोधन और बाढ़ नियन्त्रण, जल संचित, जल प्रदूषित आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करके लोगों की सोच में भी बदलाव ला दिया है कि व्यक्ति के इरादे दृढ़ हो तो कुछ भी असम्भव नहीं है।

योजना के अन्तर्गत पर्यावरण की रक्षा व पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जो काम हुआ है, उसकी प्रशंसा जितनी भी करें, कम पड़ जाती है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जीवों की रक्षा के लिए भी कदम उठाये गये हैं। यह कार्यक्रम समाज में शान्ति, एकता, भाईचारे की भावना की स्थापना में भी सहायक सिद्ध हुआ है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष व पंथ निरपेक्ष पर आधारित है। यहाँ इससे सम्बन्धित बातों को कोई भाव नहीं दिया जाता है। युवा लोगों में खेलों के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। संचार माध्यम का भी विकास हुआ है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के जरिये मासूमों का भी ख्याल रखा जाता है तो स्पष्ट है कि यह योजना हर आयु के लिए ही समर्पित है। इसमें सबका भला होता है। महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और बीमारियों से ग्रसितों के लिए दरों की एक पृथ्क अनुसूची तैयार कर इनके प्रोत्साहन कार्य को भी अंजाम दिया जाता है। श्रम समूहों द्वारा मनरेगा के श्रमिकों को संगठित किया गया है। इससे श्रमिकों को अपना हक पाने का अधिकार मिला है व पंजीकरण करके एक मंच प्रदान किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत कार्य स्थल पर चिकित्सा, जल, टैन्ट तथा मृत्यु आदि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि देना विकसित योजना की ओर इशारा करते हैं। मनरेगा कार्य लोगों की संयुक्त परिवार प्रणाली को ही अधिक महत्व देता है और काफी हद तक सफल भी हुआ है। 61.33 प्रतिशत श्रमिकों के समर्थन ने संयुक्त परिवार प्रणाली को ही उत्तम होना स्वीकार किया है।

इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों को भूखमरी से बचने, छोटे कर्जों को चुकाने और बच्चों की स्कूली शिक्षा आदि के लिए मदद करने में अहम भूमिका निभायी है। कपड़ा मंत्रालय से अभिक्षरण करके रेशम के कीड़ों से रेशम उत्पादन करना तो कई लोगों को रोजगार देता है।

मनरेगा कार्यक्रम ने ग्रामीणों को कार्य की मांग करनी सिखायी है तथा रोजगार को कानूनी गारण्टी प्रदान करके अच्छा संकेत दिया है। यहाँ एक बात तो सामने आयी है कि श्रमिकों की कमी से कृषि कार्यों का निपटान समय पर नहीं होता है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन दूसरी ओर बढ़ा उत्पादन बताता है कि आखिर किसानों को इससे हुआ तो लाभ ही है, कृषि कार्यों में सुधार हुआ है लेकिन 62 प्रतिशत श्रमिकों का मानना है कि महिलाओं का पूर्ण विकास तभी सम्भव है, जब पुरूषों की भाँति उच्च अति महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के आसीन होने से इनमें रूचि बढ़ेगी लेकिन 86 प्रतिशत श्रमिकों का कहना है कि मनरेगा को अभी भी ओर अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जाये तो अच्छा होगा। 90 प्रतिशत लोगों ने मनरेगा की मजदूरी का बैंकों द्वारा भुगतान करने की योजना की प्रशंसा की और कहा कि इससे समय की बचत हुई है व पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर की योजनाएँ पूर्ण रूप से अभी तक भी शक्ति सम्पन्न नहीं है, क्योंकि 30 प्रतिशत ग्रामीणों को इनका

लाभ नहीं मिल पाया है। अतः राज्य/राष्ट्रीय योजनाओं की कार्यप्रणाली को बदलते हुए आम लोगों के बीच अपनी पहचान बनाये और प्रत्येक गांव की झुग्गी–झोपड़ी के चौके–चूल्हे तक पहुंचे। राष्ट्रीय योजनाओं का विस्तार इस स्तर तक किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें, लेकिन 20 प्रतिशत ग्रामीणों का कहना है कि हम जानते ही नहीं है कि योजनाएँ हैं क्या और कौन बनाता है, किनके लिए बनाता है और इसका फायदा किसको मिलता है और अगर मिलता है तो इसका फायदा कैसे लिया जाता है, पता तक नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि राजकीय योजनाओं का लाभ भी अधिकांशतः उच्च वर्ग एवं धनाढ्य वर्ग तथा राजनीति में सक्रियता बढ़ाने वाले तबके या वर्ग को ही मिलता है, जो कि एक चिन्ताजनक प्रश्न है। अतः कमजोर व जरूरतमंद तथा मध्यम वर्ग को भी समान रूप से लाभ मिले, इसके लिए सरकारी प्रयत्न करना जरूरी है। सरकार द्वारा चलाई गई राजकीय योजनाओं का लाभ अभी भी पूर्ण रूप से निम्न वर्ग के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 60प्रतिशत ग्रामीणों को 30–50 प्रतिशत लाभ मिल रहा है और 70–75 प्रतिशत लाभ केवल 7.67 प्रतिशत ग्रामीणों को ही मिल पा रहा है। वहीं 10–30 प्रतिशत लाभ 30 प्रतिशत ग्रामीणों को मिल रहा है। 70प्रतिशत से अधिक लाभ किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, यह अत्यन्त चिन्ताजनक बात है। आज के इस प्रगतिवादी युग में ग्रामीणों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप 65प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ आज ऐसी हैं, जो मतदान स्वयं की इच्छा से देती हैं, जबकि दूसरी ओर देखें तो इनमें इतना भी परिवर्तन नहीं आया है, जितना कि आना चाहिए क्योंकि अभी भी 22.33 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के सुझाव से, 5 प्रतिशत दबाव में और 7.67 प्रतिशत महिलाएँ अन्य प्रकार से मतदान करती हैं। अतः आज जरूरत इस बात की है कि मतदान व अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरुक करना चाहिए, अर्थात् उन्हें यह बताना अति आवश्यक है कि

मतदान उनका स्वयं का निजी अधिकार है, वे अपनी इच्छा के अनुसार इसका प्रयोग कर सकती हैं।

सर्वे के दौरान पूछे गये अनेक प्रश्नों एवं अनौपचारिक विचार–विमर्श के दौरान यह निकलकर आया है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् अनेक स्तरों से विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अथक प्रयासों के बावजूद ग्रामीणों की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है, न कि परिवर्तन या बदलाव। निष्कर्ष तौर पर यही कहा जा सकता है कि जब आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो शिक्षा का स्तर उच्च होता है, सामाजिक स्तर भी उच्च होता है तथा रोजगार का क्षेत्र भी मजबूत होता है। वह अपेक्षाकृत मजबूत होता है तो शौक–फरमाईश, रहन–सहन, खान–पान, चाल–ढाल और बोल–चाल आदि सभी कुछ बदला हुआ नजर आने लगता है, और जब ग्रामीणों में शिक्षा–ज्ञान का अभाव होगा तो इनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति बद्तर होगी तो क्या रूचि और अभिरूचि, सभी निरर्थक हो जाते हैं। अतः यह सर्वविदित है कि जब ग्रामीण कुशल, मेहनती, कार्य के प्रति अनुभव, योजनाओं की पूर्ण जानकारी हो, तभी वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होंगें, अर्थात् जेब में रूपया हो तो मन चंगा और फिर बहने लगी है कसौटी में गंगा।

समुचित योजनाओं की जानकारी और फिर आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ीकरण द्वारा ग्रामीणों के प्रति उच्च वर्ग, शिक्षितों की सोच और पुराने तौर–तरीकों को बदलकर सम्पूर्ण क्रान्ति द्वारा ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों में लगभग काफी हद तक बदलाव आया है अथवा ग्रामीणों को मनरेगा कार्य ने काफी हद तक हर क्षेत्र में सुदृढ़ करने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है।

शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक स्वतन्त्रताओं एवं कानूनी समानता के बावजूद भारतीय समाज की अनेक वित्त परम्पराओं, रूढ़ियों तथा अन्धविश्वासों से मुक्त होने में ग्रामीणों के सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याएँ प्रस्तुत हैं। उत्तरदाताओं

के अनुसार यदि पुरुष एवं महिला दोनों दायित्वपूर्ति को प्राथमिकता दें तो अनेक समस्याओं के सन्दर्भिक निदान संभव हैं।

अतः प्रस्तुत अध्ययन में सम्पूर्ण विवेचना को संक्षिप्त रूप देते हुए हम कह सकते हैं कि समाज के विकास में मनरेगा कार्यक्रम का स्थान अन्य योजनाओं के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मनरेगा कार्यक्रम के तहत अनेक कार्य किये गये हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन सुधरा है, विकास में तेजी आयी है, आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे–जैसे ग्रामीणों में शिक्षा, रोजगार के अवसर पाने का रूझान बढ़ा है, अर्थात् वे सुदृढ़ हुए हैं, वेसे–वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुए हैं तथा आत्मनिर्भर बने हैं। अतः मनरेगा और श्रमिक (ग्रामीण) दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित व रोजगारोन्मुखी समाज का उभरता हुआ कदम क्या रूप लेगा? यह भविष्य ही बतलायेगा।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★